156

ZONE-H

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3068
Dated 11/5

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	MR Kulwant Rana
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual
वर्तमान स्थिति Present Position	M.L.A
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9810676111
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	145 PKt-24 Sec-24
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	1st April 2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

634

156

कुलवन्त राणा
सदस्य विधान सभा, दिल्ली

कार्यालय : 6, मेन बवाना रोड़, शाहबाद एक्सटेंशन, पॉकेट बी–6, सैक्टर–17, रोहिणी, दिल्ली–85
दूरभाष : 011–65023296, 65023297

सत्यमेव जयते

अर्ध शा.पत्र सं 1721/KR/MLA/12

दिनांक 01-05-12

आदरणीय अशोक जी प्रणाम्,

विषय:– मास्टर प्लान की रोहिणी परियोजना में निम्नलिखित सुझावों के संशोधन हेतु।

महोदय,

1. रोहिणी परियोजना में औचन्दी बवाना रोड को जी.टी. करनाल रोड़ से औचन्दी बवाना तक सड़क की चौडाई 60 मीटर दशाई गई है जबकि इस सड़क के दोनों ओर घनी आबादी है इस कारण से इसको चौड़ा करना संभव नही है अत: इसको घटाकर 80 फुट करवाया जाए।
2. रोहिणी परियोजना में औचन्दी बवाना रोड के दोनों ओर हरित पट्टी दर्शाई गई है जबकि इसके दोनों ओर घनी आबादी है इस कारण से इसको समाप्त किया जाए।
3. रोहिणी परियोजना में मेन कंझावला रोड़ को 60 मीटर दर्शाया गया है जबकि इस रोड़ पर मंगोल पुर, बुद्ध विहार, कृष्ण विहार, बेगम पुर, व रामा विहार आदि की घनी आबादी है इस कारण से इसको भी चौड़ा करना संभव नही है अत: इसको 80 फुट रखा जाए।
4. रोहिणी परियोजना में रोहिणी फेस–3, 4 व 5 प्रति 2–3 सैक्टरों में एक शमशान भूमि और प्रति 3–4 सैक्टरों में एक भी मल्टीपरपज मैदान होना चाहिए।
5. रोहिणी परियोजना में 1 मीटर तक ओपन छज्जों और दो प्लाटों को जोड़कर बनवाने की मंजूरी देनी चाहिए जिससे कि परिवार के दो लोग जैसे भाई–भाई, बाप–बेटा एक साथ मकान बनाकर रह सकते हैं व एक साथ मकान बनाने से पार्किंग आदि की भी सुविधा हो जाती है।
6. रोहिणी परियोजना में सिंगल स्टोरी जनता फ्लैटों में एफ.ए.आर. बढ़ाया जाए।
7. रोहिणी परियोजना में के सभी सैक्टरों में खेल का मैदान होने का संशोधन होना चाहिए।
8. रोहिणी परियोजना के सभी छोटे मकानों के कवरेज क्षेत्रफल को 90 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत करवाने का संशोधन होना चाहिए।
9. रोहिणी परियोजना में प्रति 3–4 सैक्टरों में एक–एक स्टेडियम व पूरे रोहिणी में एक बड़े औडिटोरियम के लिए संशोधन होना चाहिए।
10. रोहिणी परियोजना में प्रति 5 सैक्टरों में दिल्ली हॉट के जैसे पर्यटन स्थल बनाने और प्रत्येक सैक्टर में विद्यालय, औषधालय व सामुदायिक भवन के लिए संशोधन होना चाहिए।

सादर,

आपका

1/2/101

(कुलवन्त राणा)

श्री अशोक कुमार जी,
आयुक्त, योजना विभाग,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मिनार, दिल्ली।

निवास : मकान न. 7, मेन बवाना रोड़, शाहबाद एक्सटेंशन, पॉकेट बी–6, सैक्टर–17, रोहिणी, दिल्ली–85

633